"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 अगस्त 2010—श्रावण 21, शक 1932

वित्त एवं योजना विभाग
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ़ 8-7/2010/23/वियो.—राज्य शासन एतद्द्वारा मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 21 जुलाई, 2010 के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तित कर "राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़" किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.